"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305] रायपुर, बुधवार दिनांक 23 नवम्बर 2011—अग्रहायण 2, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 9/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2011/1827.—दिनांक 23 नवम्बर 2011 को नगर पंचायत विश्रामपुरी, जिला बस्तर, छ.ग. के 02 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-9/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2011

1. अंजनी मर्काम, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2010 नगर पंचायत, विश्रामपुरी, जिला बस्तर, छ.ग.

2. सविता नेताम, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2010 नगर पंचायत, विश्रामपुरी, जिला बस्तर, छ.ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 23 नवम्बर 2011

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), बस्तर के प्रतिवेदन दिनांक 8 फरवरी 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत विश्रामपुरी के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2010 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 3 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 24 दिसंबर 2010 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), बस्तर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 9 फरवरी 2011 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत विश्रामपुरी के आम निर्वाचन 2011 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों अंजनी मर्काम एवं सविता नेताम द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 24 दिसम्बर 2010 के पश्चात् दिनांक 23 जनवरी 2011 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), बस्तर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाली अभ्यर्थियों अंजनी मर्काम एवं सविता नेताम को दिनांक 2 अप्रैल 2011 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में चाहा गया. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों अंजनी मर्काम एवं सविता नेताम को दिनांक 23 अप्रैल 2011 को सम्यक् रूप से तामील की गई. अभ्यर्थियों अंजनी मर्काम एवं सविता नेताम को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा अपना जवाब न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त प्रस्तुत किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उक्त अभ्यर्थियों को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), बस्तर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों अंजनी मर्काम एवं सविता नेताम ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं

प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अतः उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 23 जनवरी 2011 को शासकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 24 जनवरी 2011 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), बस्तर द्वारा 23 जनवरी 2011 का उल्लेख किया गया है.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), बस्तर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत विश्रामपुरी के आम निर्वाचन 2010 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों अंजनी मर्काम एवं सविता नेताम ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थियों अंजनी मर्काम एवं सविता नेताम प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों अंजनी मर्काम एवं सविता नेताम को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार साल की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 23 नवम्बर 2011 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.